



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042025-262345
CG-DL-E-08042025-262345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947

No. 117]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

फा. सं. 16/1/2017- एचई एंड एमटी.—भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-II" दिशानिर्देश के संबंध में दिनांक 25 जनवरी 2022 की अधिसूचना संख्या 16/1/2017- एचई एंड एमटी में निम्नांकित संशोधन किया जा रहा है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 11.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

'भारी उद्योग मंत्रालय परियोजना पूर्णता रिपोर्ट का मूल्यांकन संतोषजनक पाए जाने के बाद पीआईओ को "परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र" प्रदान करेगा। परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा परियोजना के लिए परियोजना पूर्णता रिपोर्ट अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव/अपर सचिव के नेतृत्व वाली जाँच समिति "परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र" की संस्थीकृति के लिए अंतिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी।'

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2025

F. No. 16/1/2017-HE&MT.—Following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Heavy Industries, No. 16/1/2017-HE&MT, dated the 25th January 2022 related to Guidelines of the Scheme On “Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector- Phase-II” is being made namely:

In the said notification, Para 11.4 may be substituted as:

‘MHI shall grant the “Certificate of Project Completion” to the PIO after satisfactory evaluation of the project completion report. The Screening Committee chaired by JS/AS, HE&MT shall act as the final authority for sanctioning the “Certificate of Project Completion” after the project completion report is submitted independently by the Project Review and Monitoring Committee (PR&MC) and National Research Development Corporation (NRDC) for the projects under the Scheme.’

2. The notification shall come into effect from the date of its publication in the Gazette.

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.